

## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 19/2017

सरकार जरीये श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

प्रार्थी

### बनाम्

1. आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय (एफ.बी.ओ./मालिक)  
मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर  
निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर

अप्रार्थीगण

### आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी

बनाम्

1. आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय (एफ.बी.ओ./मालिक)  
 मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर  
 निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर

## अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र-5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द,

अभिग्रहण प्रारूप-2, अभिग्रहण आदेश प्रारूप-3, पहचान पत्र श्री आसकरण, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र 12216032000314 ए.एस. ट्रेडिंग कम्पनी, वेट-03 प्रमाण-पत्र ए.एस. ट्रेडिंग कम्पनी, नमूना एम-1250 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एम-1250 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एम-1250 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एम-1250 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, सिजर की सूचना अभिहित अधिकारी, जोधपुर, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 18609-610, जांच रिपोर्ट फार्म बीएलएस 1014/एक्ट/2016/1034, श्री आसकरण को घी (विजेता) की अग्रिम खरीद बिल पेश करने हेतु लिखा रजि. पत्र 35 मय रसीद, श्री आसकरण द्वारा दिया गया प्रत्यौत्तर मय संलग्न कागजात की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 20.08.2016 को 06.00 पी.एम पर श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर की दुकान/निर्माण स्थल पर विक्रेता की हेसियत से उपस्थित मिलने पर श्री आसकरण उपाध्याय को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होंने पहचान पत्र, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र 12216032000314, वेट-03 प्रमाण -पत्र पेश किया।

उपरोक्त दूकान/निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर घी (विजेता) के 500 एम.एल. के 90 पैकटस (3 कार्टून में) आम जनता को विक्रेय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 550/- नगद देकर घी (विजेता) 500 एम.एल. के 04 पैकटस खरीदी एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा घी (विजेता) 500 एम.एल. के 4 पैकटस चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार किया। लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एम-1250 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनों पर एम-1250 चार पेपर स्लिप एम-1250 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

अधिकारी को जमा, सिजर की सूचना अभिहित अधिकारी, जोधपुर, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 18609-610, जांच रिपोर्ट फार्म बीएलएस 1014/एक्ट/2016/1034, श्री आसकरण को घी (विजेता) की अग्रिम खरीद बिल पेश करने हेतु लिखा रजि. पत्र 35 मय रसीद, श्री आसकरण द्वार दिया गया प्रत्यौत्तर मय संलग्न कागजात की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 20.08.2016 को 06.00 पी.एम पर श्री आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर की दुकान/निर्माण स्थल पर विक्रेता की हेसियत से उपस्थित मिलने पर श्री आसकरण उपाध्याय को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होंने पहचान पत्र, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र 12216032000314,वेट-03 प्रमाण -पत्र पेश किया।

उपरोक्त दूकान/निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर घी (विजेता) के 500 एम.एल. के 90 पैकटस (3 कार्टून में) आम जनता को विक्रेय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 550/- नगद देकर घी (विजेता) 500 एम.एल. के 04 पैकटस खरीदी एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा घी (विजेता) 500 एम.एल. के 4 पैकटस चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार किया। लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एम-1250 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनों पर एम-1250 चार पेपर स्लिप एम-1250 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में

स्वयं, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिलड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सिलड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिलड नमूना एवं सिलड लिफाफा दिनांक 29.08.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम-1250 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 28.08.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 28.08.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 18609-610 दिनांक 14.09.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./1014/एक्ट/2016/1034 दिनांक 02.09.2016 प्रति के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया घी (विजेता) **Prepared ghee cotton tract area Jodhpur (Division) given of the label of sample is misleading and false** की वहज से **Contravention of Regulation No. 2.2.1(5) and 2.3.1(5) of food safety and standards (Packaging and Labelling)** होने मिथ्याछाप (Misbranded)का होना पाया गया। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/स्वीकृति/एम-1250/4259-60 निांक 21.02.2017 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने **मिथ्याछाप (Misbranded) घी (विजेता)** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 27-2-17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय ने अवगत करवाया की वक्त निरीक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर/दुकान से घी (विजेता) आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया जो उक्त नमूना सं. एम-1250 है उक्त नमूना संख्या एम-1250 मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) होना पाया गया। मैंने उक्त घी (विजेता) मैंने बाजार से खरीद किया है मेरे द्वारा उक्ता घी में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने एवं अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम जर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम-1250 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 28.08.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 28.08.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 18609-610 दिनांक 14.09.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./1014/एक्ट/2016/1034 दिनांक 02.09.2016 प्रति के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया घी (विजेता) **Prepared ghee cotton tract area Jodhpur (Division) given of the label of sample is misleading and false** की वहज से **Contravention of Regulation No. 2.2.1(5) and 2.3.1(5) of food safety and standards (Packaging and Labelling)** होने मिथ्याछाप (Misbranded)का होना पाया गया। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/स्वीकृति/एम-1250/4259-60 नांक 21.02.2017 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने **मिथ्याछाप (Misbranded) घी (विजेता)** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 27-2-17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय ने अवगत करवाया की वक्त निरीक्षक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान उक्त परिसर/दुकान से **घी (विजेता)** आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया जो उक्त नमूना सं. एम-1250 है उक्त नमूना संख्या एम-1250 मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) होना पाया गया। मैने उक्त **घी (विजेता)** मैने बाजार से खरीद किया है मेरे द्वारा उक्ता घी में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने एवं अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस.

/1014/एक्ट/2016/1034 दिनांक 02.09.2016 द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्राप्त घी (विजेता) का सैम्पल नमूना संख्या एम-1250 जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणों को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय पर राशि रुपये ..... 5000 ...../- (अखरे रुपये पाँच हजार मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 23/5/17 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23/5/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सीमा कविया)  
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)  
मजिस्ट्रेट जोधपुर

दिनांक :- 23/5/2017

क्रमांक :- 1262-1265

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएँ जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर
4. आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय (एफ.बी.ओ./मालिक)

मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड,  
जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर

के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणों को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय पर राशि रुपये ..... **5000** /- (अखरे रुपये **पाँच हजार मात्र**) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी श्री आसकरण उपाध्याय उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक **23/5/17** के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक **23/5/17** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सीमा कविया)  
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)  
मजिस्ट्रेट (जोधपुर) जोधपुर

दिनांक :- **23/5/2017**

क्रमांक :- **1262-1265**

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएँ जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जोधपुर
4. आसकरण उपाध्याय पुत्र श्री कन्हैयालाल उपाध्याय (एफ.बी.ओ./मालिक)

मैसर्स- ए0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड,  
जोधपुर निवासी- नरसिंह जी की प्याउ के पास, माता का थान रोड, जोधपुर

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)  
एवं अतिरिक्त जिला  
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर